

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3 (ii) DATED 14th MARCH, 1984

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th March, 1984.

NOTIFICATION

S.O. No. 161 (E).- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Chief Commissioner or Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the State Government under section 11, of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) within their respective Union territories.

[No. U-11030/1/84-UTL]



(R.V. PILLAI)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

The General Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, NEW DELHI.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 11 दिनांक 14 मार्च, 1984
में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 मार्च, 1984

अ धिं स च ना

का०आ० संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड 1 के
अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा यह निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघशासित
क्षेत्र का प्रशासक चाहे उसे प्रशासक, मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल के नाम
से ही जाना जाता है, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन और अगले आदेशों
तक, अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1981 1981 का 40 की धारा 1
के तहत अपने संघ शासित क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों का
प्रयोग करेगा।

सं० य० 11030/1/84-य०टी०एल०

आर वी पिल्ले

आर० वी० पिल्ले

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

महाप्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।